

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क)/अलेसे-1/लिंक नं. 8853/802

दिनांक:- 19/11/2018

कार्यालय आदेश

श्री नन्द लाल धनवानी, (लिंक नं. 8853) सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1, कार्यालय-विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सुवाना, भीलवाड़ा-(2116) जिनकी जन्म तिथि 09.11.1960 है, ने आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 15.11.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध किया है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 50(1)(3) के अन्तर्गत इन्हें दिनांक 15.11.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

श्री नन्द लाल धनवानी की राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 22.08.1984 है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री नन्द लाल धनवानी के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 19 के अन्तर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क)/अलेसे-1/लिंक नं. 8853/802

दिनांक:- 19/11/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, अजमेर।
- 3 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पंचायती राज विभाग, सुवाना, भीलवाड़ा।
- 4 कोषाधिकारी, भीलवाड़ा।
- 5 श्री नन्द लाल धनवानी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय-विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सुवाना, भीलवाड़ा।
- 6 उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में इन्द्राज हेतु।
- 7 अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदया।
- 8 पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)